न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अम्बेडकर नगर।

CNR No. UPAN010047652026

Bail Application/785/2026

अशोक लोना आयु लगभग 28 साल पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम हथिनाराज, थाना आलापुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।

–––––– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

–––––– विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 66/2026
धारा– 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना– आलापुर,
जनपद– अम्बेडकर नगर।

12.06.2026

1. वर्तमान प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अशोक लोना द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है किसी अन्य न्यायालय या मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न तो निर्णीत है और न ही विचाराधीन है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, थानाध्यक्ष आलापुर द्वारा प्रधान लेखक थाना आलापुर को इस आशय की फर्द दी गयी कि, दिनांक 24.03.2026 को वादी मुकदमा मय हमराह के थाना से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, क्षेत्र भ्रमण में मामूर था कि ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर रवि कुमार लोना पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 2. सादाब पुत्र नसीबुल्ला, 3. जितेन्द्र मौर्य पुत्र सभाजीत मौर्य, 4. अशोक पुत्र बच्चूलाल, 5. अफजल पुत्र रूस्तम का एक संगठित गिरोह है, जो कि अपने व अपने गैंग के सदस्यों के निजी आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोकशी व गौ तस्करी जैसे अपराध कारित कर धनोपार्जन किया जाता है। इस गैंग के विरूद्ध दिनांक 07.05.2025 को ग्राम सिपाह में पिकअप सं0 यूपी 45एटी 0377 में गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक लादकर वध करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जिसके आधार पर थाने पर मु0अ0सं0 96/2025 अंतर्गत धारा 318(4)बी बी0एन0एस0 व धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 (घ) पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया। जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.12 16:15:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अंतर्गत धारा 61(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 (घ) पशु क्रूरता अधि0 के तहत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। इस गैंग का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इस गैंग का गैंग लीडर व सदस्य समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते है का गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकरनगर के पास भेजा गया था। उक्त गैंग के विरूद्ध अनुमोदितशुदा गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 3(1) में अभियोग पंजीकृत करे।'' उपर्युक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है, महज रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें में प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध गैंग चलाकर नाजायज लाभ लेने से संबंधित कोई भी प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ विवेचक महोदय द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी एक पूर्ण रूपेण निर्दोष व्यक्ति है तथा एक सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है बाद जमानत प्रार्थी के कहीं भागने या साक्ष्यों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की तनिक भी संभावना नहीं है। दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त आदतन अपराधी है तथा गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ अपराध कारित करता है यदि जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः अपने गैंग के साथ अपराधों में संलिप्त होगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19(4)(बी) प्रावधानित करती है कि जब तक न्यायालय की संतुष्टि इस बावत नहीं हो पाये कि अभियुक्त को दोषी मानने का पर्याप्त आधार नहीं है कि जमानत पर रिहा किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा किसी अपराध को किये जाने की सम्भावना नहीं है, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा।

7. प्रश्नगत मामले में गैंगचार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध 01 मुकदमा दर्ज है, जो गौ– हत्या जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है। इस स्तर पर तहरीर एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त उक्त अपराधों को कारित करने का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने के उपरान्त उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जायेगा। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में खारिज की जा

चुकी है। अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये बिना निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त अशोक लोना का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–66/2026, अन्तर्गत धारा– 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(परविन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट
अम्बेडकर नगर।
I.D No. UP01837

दिनांक– 12.06.2026